

¹प्ररूप सं. 3 गडकक

[देखें नियम 10घक]

मास्टर फाइल

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92घ की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

भाग-क

- निर्धारिती का नाम
- निर्धारिती का पता
- निर्धारिती का ²[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]
- अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम, जिसका निर्धारिती घटक अस्तित्व है-
- अंतर्राष्ट्रीय समूह का पता, जिसका निर्धारिती घटक अस्तित्व है-
- लेखांकन वर्ष, जिसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है
- भारत में प्रचालन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों की संख्या
- मद संख्या 7 में सम्मिलित सभी घटक निकायों का नाम, ²[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] और पता

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों का नाम	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों का ² [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों का पता

भाग-ब

- अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी निकायों की उनके पते सहित सूची-

क्रम सं.	नाम	पता

- संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों की विधिक प्रास्थिति और स्वामित्व ढांचे को दर्शित करते हुए चार्ट
- नियम 10घक के उपनियम (1) के खंड (ग) के अनुसरण में निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए लेखांकन वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारबार का लिखित विवरण, अर्थात्:-
 - कारबार या कारबारों की प्रकृति
 - ऐसे कारबार या कारबारों के लाभों के महत्वपूर्ण चालक;
 - राजस्व के निबंधनों में अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सबसे बड़े उत्पादों या सेवाओं और किन्हीं अन्य उत्पादों, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं हैं, जो समेकित समूह राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक के बराबर हैं, की पूर्ति श्रृंखला का विवरण;
 - अनुसंधान और विकास सेवाओं से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच किए गए महत्वपूर्ण सेवा इंतजामों की सूची और संक्षिप्त विवरण;
 - अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण;
 - सेवा लागतों का आबंटन करने के लिए अंतरण कीमत नीतियां और अंतःसमूह सेवाओं के लिए संदत्त की जाने वाली अवधारण कीमतें ;
 - अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा प्रस्ताव किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के लिए मुख्य भौगोलिक बाजारों की सूची और विवरण;
 - अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों, जो ऐसे समूह के राजस्व या आस्तियों या लाभ में कम से कम दस प्रतिशत का अंशदान कर रहे हैं, द्वारा किए जा रहे, कृत्यों, आस्तियों और जोखिम विवरण; और
 - महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहारों, अर्जन और अविनिधानों का विवरण।

- आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2017 द्वारा 31.10.2017 से अंतःस्थापित।
- आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. अमूर्त संपत्ति, जिसके अंतर्गत प्रधान अनुसंधान और विकास सुविधाएं तथा उनका प्रबंधन है, के विकास, स्वामित्व और दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण;
5. अमूर्त संपत्ति के विकास और अमूर्त संपत्ति के प्रबंधन में लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय समूह के अस्तित्वों की उनके पो सहित सूची ;

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय समूह के अस्तित्व का नाम	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक अस्तित्व का पता

6. समूह अस्तित्व, जो ऐसे अमूर्त संपत्ति के विधिमान्य स्वामी हैं, के नाम और पते के साथ अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व में सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति के समूह की सूची--

क्रम सं.	अमूर्त संपत्ति/अमूर्त संपत्ति का समूह	उस अस्तित्व का नाम, जो विधिमान्य रूप से अमूर्त संपत्ति/अमूर्त संपत्ति समूह का स्वामी है	अस्तित्व का पता

7. अमूर्त संपत्ति के संबंध अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण करारों की सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत लागत सवितरण करार, प्रधान अनुसंधान सेवा करार और अनुज्ञप्ति करार हैं;
8. अनुसंधान और विकास तथा अमूर्त संपत्ति में संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नितियों का विवरण;
9. अंतर्राष्ट्रीय समूह के निकायों के बीच अमूर्त संपत्ति में महत्वपूर्ण हित के अंतरण का विवरण, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत विक्रय और क्रय करने वाले निकायों का नाम और पता तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिकार है;
10. अंतर्राष्ट्रीय समूह के वित्तपोषण करारों का विस्तृत विवरण, जिसके अंतर्गत शीर्षस्थ देनदार, जो आपस में संबंधित नहीं है, के नाम और पते;
11. समूह निकायों की सूची, जो केंद्रीय वित्तपोषण कृत्यों का उपबंध कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनके प्रचालन और प्रभावी प्रबंधन का स्थान है;
12. समूह निकायों के बीच वित्तपोषण करारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विस्तृत विवरण;
13. अंतर्राष्ट्रीय समूह की वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की प्रति; और
14. देशों के बीच आय के आबंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकपक्षीय अग्रिम कीमत और अन्यकर विनिर्णयों की सूची और संक्षिप्त विवरण-

मैं, श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी* घोषणा करता हूँ कि मैं (निर्धारिती का नाम) की क्षमता (पदनाम) में सूचना कर रहा हूँ और मैं उक्त सूचना को प्रस्तुत करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान

हस्ताक्षर**

स्थान

घोषणाकर्ता का पता

तारीख

घोषणाकर्ता का 2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]

टिप्पण 1: * जो लागू न हो उसे काट दें।

** इस प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं, जो धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम है।

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।